

नम्बर
अहका
हुक्म व
में जा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

तहसील अधिकारी- श्री मुकेश कुमार मीना आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

दावा

ता0दायरा

ता0फाईनल निर्णय

25.02.09

27.01.16

मौसरिया पुत्र हरसुखा जाति मीना निवासी (भूत्यापुरा) इनायती तहसील सपोटरा जिला करौली खज01

-वादी

बनाम

1. गुलाब
2. कल्याण पिसरान हरसुखा
3. भंवरसिह पुत्र देवफूल
4. समयसिह पुत्र देवफूल
5. सोमा बेवा देवफूल
6. बदरी पुत्र छीतर
7. अर्जुन पुत्र छीतर
8. सुरजन पुत्र छीतर
9. भरतलाल पुत्र छीतर
10. मु0 अमरी बेवा छीतर
11. मांग्या पुत्र हरनारायण
12. रतन्या पुत्र हरनारायण समस्त जातियान मीना निवासी (भूत्यापुरा) इनायती तहसील सपोटरा जिला करौली
13. लैण्ड होल्डर तहसीलदार सपोटरा जिला करौली (राजस्थान)

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उद्घोषणा, बंटवारा, इन्द्राज दुरस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53,88,188 आर0टी0एक्ट


अस्थित:- श्री धीरेन्द्रपालसिह वकील वादी।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि ग्राम रतनापुरा तहसील सपोटरा की आराजी विवादित वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कच्चे काश्त की आराजीयात का बंटवारा बाबत् किया गया दावा इस न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय दिनांक 28.12.2011 द्वारा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार सपोटरा से बंटवारा स्कीम तलब की गई।

तहसीलदार सपोटरा के पत्रांक एलआर/2016/212 दिनांक 29.1.2016 द्वारा ग्राम रतनापुरा की बंटवारा स्कीम प्राप्त हुई, अवलोकन किया गया। वकील वादी भी मुताबिक बंटवारा स्कीम दावा वादी फाईनल डिकी किये जाने हेतु सहमत है। अतः दावा वादी मुताबिक बंटवारा स्कीम फाईनल डिकी किया जाकर विवादित आराजीयात का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाता है।

वादी मौसरिया पुत्र हरसुखा जाति मीना निवासी भूत्यापुरा के हिस्से में ख0नं0 4/1 रकबा 12 बिस्वा, ख0नं0 5/1 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं. 6/1 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा कुल कित्ता 3 का कुल रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा रहेगा।

बंटवारा स्कीम के साथ संलग्न ट्रेस डिकी का जुज रहेगा। आराजी विवादित के लगान राशि के सात गुना पर 11 प्रतिशत की दर से देय स्टॉम्प इयूटी पेश होने पर डिकी जारी हो।



उप जिला कलक्टर
सपोटरा

